तारीख हुक्म	न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन बून्दी बउनवान सोनू कुमारी वगैरह बनाम जगदीश प्रकरण संख्या– 93/2024	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.08.2025	प्रार्थिया मय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी जगदीश को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया। अप्रार्थी भरण–पोषण राशि अदायगी के व्यतिकम में लगभग 03 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में होने के बावजूद राशि अदा नहीं कर रहा है। आज भी राशि अदायगी में असमर्थता जाहिर की। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थिया द्वारा 16 माह की वसूली का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना दर्शित आता है, जबकि नियमानुसार अप्रार्थी के विरूद्ध 12 माह के संबंध में ही कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वसूली राशि वसूल किए जाने हेतु धारा 421 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधान की रोशनी में जिला कलेक्टर, बून्दी को उक्त राशि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जाने हेतु प्राधिकृत करते हुए पत्र जारी किया जावे। यह प्रकरण भरण–पोषण की वसूली हेतु प्रस्तुत प्रकरण है। अप्रार्थी लगभग 03 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है। शेष 11 माह की अवधि के लिए कमिक तौर पर एक–एक माह का सजा वारण्ट बनाकर यह नोट अंकित किया जावे कि उक्त सजा कमिक रूप से एक के बाद एक भुगताई जावे। यदि अप्रार्थी इस दौरान वसूलियों की राशि 96,000/–रूपए जमा कर दे तो तुरन्त रिहा किया जावे अन्यथा दिनांक 13.07.2026 को अप्रार्थी के अन्य प्रकरण में वांछित नहीं होने पर रिहा कर दिया जावे। इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। कारागार बून्दी/जिला कलेक्टर से पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे संलग्न पत्रावली किया जावे। पत्रावली पर **"लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि कारागृह बून्दी/जिला कलेक्टर से पालना रिपोर्ट प्राप्त होकर संलग्न नहीं किए जाने तक पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।"** पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केशवराय पाटन जिला–बून्दी (राज.)	